



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड़ पुत्र श्री रवीन्द्र गौड़, निवासी जनपद-बलिया की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-13927/प्रो(6)/263/(विश्व स्वास्थ्य दिवस-26), दिनांक 09.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड़ पुत्र श्री रवीन्द्र गौड़, जो उससा, थाना-पकडी, जनपद-बलिया का निवासी है। सिद्धदोष बन्दी द्वारा दिनांक-01.01.2006 को अपने 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ग्राम समाज की भूमि के कब्जे को लेकर आपसी विवाद के कारण लाठी, डण्डों से पीटकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/2006 में भा०द०वि० की धारा-147, 436, 323, 307, 302, 506 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-7, बलिया के आदेश दिनांक 22.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.12.2021 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं०-1222/2022 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के अनुपालन में दिनांक 23.02.2022 को कारागार से रिहा। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 27 दिन एवं सपरिहार 21 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा दिनांक-01.01.2006 को अपने 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ग्राम समाज की भूमि के कब्जे को लेकर आपसी विवाद के कारण लाठी, डण्डों से पीटकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। बन्दी की स्थायी नीति के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण को दयायाचिका समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया एवं दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रकरण को सक्षम स्तर (श्री राज्यपाल) के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। तत्क्रम में बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष भोगी गयी कम सजा, बन्दी की कम आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर द्वारा सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड़ पुत्र श्री रवीन्द्र गौड़ की समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द गौड़ (बन्दी सं0-1475/2008) पुत्र श्री रवीन्द्र गौड़, निवासी जनपद-बलिया की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1353/2026/824(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बलिया।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-1222/2022 अरविन्द गौड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के संदर्भ में।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।